न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
प्रकीर्ण आवेदन संख्याः— 85 /11/17
नेत्रपाल सिंह प्रति कन्हैया लाल, आदि
धारा :— 156(3)द0प्र0सं0
थाना :— कोतवाली, अलीगढ़।

18—10—2017

आवेदन पेश हुआ। पुकार पर आवेदक सह अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आवेदन 156(3) दं0प्र0सं0 पर अनुश्रवण हेतु नियत है। आवेदन पर आवेदक के विद्धान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

प्रस्तुत आवेदन आवेदक नेत्रपाल सिंह की ओर से विपक्षी कन्हैया लाल, सीताराम, देवीराम, भगवान दास, दिन्ना व भूरा, महीपाल सिंह, कंचन सिंह, व राजेश कुमार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षीगण के विरूद्ध थाने पर मुकदमा दर्ज कर अन्वेषण कराये जाने के आदेश पारित किये जावे।

आवेदन के समर्थन में आवेदक की ओर से स्वंय का शपथपत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित पत्र की छाया प्रति, मय डॉक रसीद की प्रति, दाखिल की गई है।

आवेदन के सन्दर्भ में थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदन में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदन तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया गया।

विधि व्यवस्था 2001 (44) ए0एल0आर0 पृश्ठ 558 रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह अवधारित किया है कि दण्डाधिकारी को धारा 156(3) द0प्र0सं0 के प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में स्वीकार किये जाने का अधिकार है।

इसी विधि व्यवस्था के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पुनः फौजदारी प्रकीर्ण याचिका संख्या 9297/07 सुखवासी प्रति उ0प्र0 राज्य (डबल बैंच) में उद्त संदर्भ में दिनॉक 18—9—2007 को यह अवधारित किया गया है कि दण्डाधिकारी के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रार्थनापत्र अ0 धारा 156(3) द0प्र0सं0 को स्वीकृत ही करें, उसे यह विवेक प्राप्त है कि वह धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के आवेदन को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर सकता है।

इस सन्दर्भ में आवेदक के आवेदन एंव उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के परिषीलन से स्पष्ट है कि दिनांक 25—07—17 को विपक्षी संख्या—01 व 2 अन्य विपक्षीगण को साथ लेकर उपर्युक्त संपत्ति पर आये तथा घटना स्थल पर मौजूद प्रेमपाल , देववीर, दोजीराम व अन्य की उपस्थिति में आवेदक को लात घूसों से पिटाई करने लगे और आवेदक के विरोध करने के बाबजूद उपर्युक्त दीवार में से करीब 4 फीट उची दीवार को

तोड़कर बिना नम्बर वाले फलेट की ट्रैक्टर ट्राली में ईट भरकर ले गये जिससे आवेदक को लगभग रूपये एक लाख का नुकसान हुआ है। विपक्षीगण जाते जाते आवेदक को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। मामले के सम्पूर्ण तथ्य आवेदक की जानकारी में हैं। आवेदक मामले के सम्बन्ध में सम्पूर्ण साक्ष्य न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन के परिशीलन से मामले की पुलिस द्वारा अन्वेषण कराये जाने का पर्याप्त आधार प्रथमदृष्टया प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विधि व्यवस्था एंव आवेदन में वर्णित तथ्यों के आधार पर आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर परिवाद के रूप में कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है।

<u>आदेश</u>

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन 156(3) दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य धारा 200 दं0प्र0सं0 दिनांक 01–12–2017 को पेश हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलीगढ़।